बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला योजना कार्यालय)

TELE: 06346 232153
EMAIL: lakhisaraidpo@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 02/17–18

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनानतर्गत श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा लखीसराय जिले के ओलीपुर ग्राम पुस्तकालय भवन में बेंच–डेस्क, की आपूर्ति हेतु वर्ष 2016–17 के लिए अनुशंसा प्राप्त है। उक्त अनुशंसा के आलोक में बेंच–डेस्क आपूर्ति हेतु द्वि–लिफाफा प्रणाली अन्तर्गत मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। पहला लिफाफा तकनीकी बिड एवं दुसरा लिफाफा वित्तीय बिड का होगा लिफाफों पर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिखना अनिवार्य होगा। दोनों सीलबंद लिफाफों को एक अन्य सीलबंद लिफाफे के अन्दर रखा जायेगा। सभी लिफाफों पर निविदादाताओं को अपने प्रतिष्ठिान का नाम अंकित करना होगा। लिफाफा बिल्कुल सीलबंद होना अनिवार्य है तकनीकी बिड के साथ अग्रधन की राशि के रूप में मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपयें मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा कोई भी प्रतिष्ठान/ अधिकृत विकेता/निर्माता जमा कर सकते है। निविदा दिनांक 15.09.2017 को 2:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, लखीसराय में जमा किया जाना है उसी दिन को 4:00 बजे अपराह्न में जिला पदाधिकारी लखीसराय के कार्यालय कक्ष में निर्णय हेतु कय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कय समिति की बैठक में भाग ले सकते है। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्ते लखीसराय जिले के वेबसाईट http:// lakhisarai.bih.nic.in पर देखी जा सकती है। किसी भी शंका समाधान हेतु कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से समपर्क किया जा सकता है।

आपूर्ति की जानेवाली बेंच–डेस्क की तकनीकी विशिष्टियाॅ निम्नवत होनी चाहिए।

बेंच–डेस्क के लिए दो प्रकार की विशिष्टियों 'क' एवं 'ख' के रूप में अंकित की जा रही है। अतः एक ही साथ एक ही अग्रधन की राशि पर 'क' एवं 'ख'के लिए निविदा डाला जा सकता है।

उपस्कर का नाम एवं प्रकार	आकार	विशिष्टतायें
(क) शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पट्रा बेंच – (शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम कीं लकड़ी का पट्रा)	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(1) पौवा– 18 इंच X 2 इंच X 2 इंच– चार (2) पाशी – 60 इंच X 3 इंच X 1 इंच– दो (3) साईड पाशी – 07 इंच X 3 इंच X 1 इंच– तीन (4) गज– 07 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच –दो (5) पट्रा– आम 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच– एक
डेस्क्–(शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पट्रा)	60 इंच X 30 इंच X 14 इंच	(1) पौवा –30 इंच X 2 इंच X 2 इंच–चार (2) पाशी – 60 इंच X 3 इंच X 01 इंच– दो (3) साईड पाशी – 10 इंच X 04 इंच X 01 इंच –तीन (4) गज – 12 इंच X 1.5 इंच X 01 इंच – दो (5) पटरा–आम– 60 इंच X 10 इंच X 01 इंच – एक (6) पटरा–आम– 60 इंच X 04 इंच X 01 इंच – एक
(ख) लोहे का फ्रेम चौकोर 16 गेंज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्रा बेंच – (लोहा का फ्रेम चौकोर 16 गेंज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्रा)	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(1) पौवा 18 इंच X सवा इंच X सवा इंच – चार (2) लेग सहित पाशी – 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच – तीन (3) साइड पाशी– 07 इंच X सवा इंच X सवा इंच तीन (4) पट्रा आम का– 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक

डेस्क – (लोहा का फ्रेम चौकोर 16 गेंज सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्रा)	60 इंच X 30 इंच X 10 इंच	(1) पोवा – 30 इंच X सवा इंच X सवा इंच –चार (2) लेग सहित पाशी– 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच – तीन (3) साइड पाशी 10 इंच X सवा इंच X सवा इंच – पाँच (4) पट्रा आम का– 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक (5) पट्रा आम का 60 इंच X 4 इंच X 1 इंच – एक

तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता का फर्म कारखाना अधिनियम के तहत निबंधित होना अनिवार्य हैं। रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. लघु उधोग इकाई द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की छायाप्रति अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपयें मात्र बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से लखीसराय स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतेय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ निविदादाताओं को GST निबंधन की छाया प्रति संलग्न करना होगा
5. वर्ष 2016–17 का आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाताओं द्वारा संबंधित फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र मूल में देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता को एक सेट (बेंच–डेस्क) का दर सभी टैक्स के साथ अंकित करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तेः–

1. आपूर्ति किये गये सभी बेंच एवं डेस्क पर योजना का नाम निविदादाता को अंकित करना होगा।
2. निविदा के स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदादाताओं को एकरारनामा करना होगा तथा निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित पुस्तकालय में करनी होगी।
3. निवदिदाताओं को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
4. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/ रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।

जिला योजना पदाधिकारी
लखीसराय।

ज्ञापांक 202 दिनांक 17/8/17

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला लखीसराय के वेवसाईड पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित अनुरोध है कि किसी दो दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/8/17

जिला योजना पदाधिकारी
लखीसराय।